जी.एच.एस.

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सुजानगढ़ – 331507 (चुरू) राज.
फोन : 01581–280184
Website : https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcsujangarh Email- gcsujangarh@gmail.com

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध

नैक NAAC द्वारा ग्रेड .बी. प्रदत

शिक्षा सत्र 2022-23

विवरणिका

प्राचार्य की कलम से

नवीन सत्र 2022–23 के शुभारम्भ की आप सबको हार्दिक बधाईं। उच्च शिक्षा के लिए मिले सुअवसर को अपने जीवन का सुरम्य अवसर बनाने हेतु प्रयासरत आप सब भावी राष्ट्र–निर्माताओं को कोटिशः शुभकामनाएं। यह निर्विवाद सत्य है कि उच्च शिक्षा एवं सुशिक्षा का अवसर हर एक को नहीं मिल पाता हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर मिला है। कृपया पूर्ण निष्ठा एवं अनुशासन के साथ महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी संपूर्ण अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए अपना सर्वांगीण विकास करें। विद्या अलंकार है, आभूषण है, इससे अपने व्यक्तित्व को संवारें, सजाएं। जीवन में कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थी जीवन में जो युवा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं; अच्छे संस्कार और मूल्य अपने जीवन में अपनाते हैं; आगे चलकर वे अच्छे इंसान एवं राष्ट्र के ज़िम्मेदार नागरिक बनते हैं। विद्यार्थी जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाएं, इसका पूरा सदुपयोग अपने भावी जीवन की नींव तैयार करने में करें।

अपनी प्रतिभा एवं हुनर को पहचानें और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर वो क्षेत्र चाहे अकादमिक, प्रशासनिक, व्यवसायिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक या विज्ञान एवं तकनीकी कोई भी हो। सतत रूप से कौशल विकास हेतु प्रयासरत रहें। नियमित कक्षाओं में आकर ज्ञानार्जन करें। खेलकूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेवें। महाविद्यालय की सम्पत्ति आपकी अपनी सम्पत्ति है अतः इसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं। अच्छे और अनुशासित विद्यार्थी होने का परिचय दें। मानवीय मूल्य एवं गरिमा बनाये रखें। समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करें। विद्यार्थी जीवन में अच्छी कुशलता और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाकर अपने भविष्य को गढ़ें।

इन्हीं भावनाओं एवं शुभकामनाओं के साथ....

सी.एस.डोटासरा
प्राचार्य

विवरणिका 2022–23

PROSPECTUS

ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सुजानगढ़–331507 (चूरू) राजस्थान

तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्राचार्य एवं संरक्षक

प्रो. सी.एस. डोटासरा

संपादक मंडल

प्रो. सप्तेश कुमार

सह–आचार्य
भौतिक विज्ञान विभाग

डॉ. गजादान चारण

सह–आचार्य
स्नातकोत्तर हिंदी विभाग

प्रकाशक

प्राचार्य, ज्ञा. ह. स. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,सुजानगढ़

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आवश्यक सूचनाएं	5
2	अत्यावश्यक नियम	6
3	महाविद्यालय एवं सुजलांचल : एक परिचय	7–9
4	पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान	10–13
5	परिसर दृष्टि	14–18
6	प्रवेश नियमावली	19–20
7	उपस्थिति सम्बन्धी नियम	21
8	फीस संरचना	22–25
9	महाविद्यालय परिवार	26–27
10	बस एवं रेल कन्सेशन सम्बन्धी नियम	28
11	आचरण सम्बन्धी सामान्य नियम	29
12	पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवेश हेतु नियम एवं कैलेंडर	30

आवश्यक सूचनाएं

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे –

1- प्रवेश–नियमों, प्रवेश–तिथियों एवं उपस्थिति सम्बन्धी अध्यादेशों/आदेशों/निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।

2- निर्धारण तिथि तक शुल्क जमा न कराने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

3- विलम्ब शुल्क से फॉर्म एवं फीस जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

4- प्रवेश फॉर्म 'क' साथ लगाए गए मूल प्रलखों की पर्याप्त सत्यापित/स्व–सत्यापित फोटो स्टटे प्रतियाँ अपने पास रखें क्योंकि ये मूल–प्रलेख प्रवेश के बाद शीघ्र लौटाए नहीं जा सकेंगे।

5- प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश देने से मना कर सकता है।

6- नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट को देखते रहें।

7- अपना स्थाई मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई–डी आवश्यक रूप से महाविद्यालय अकादमिक शाखा में लिखवाएं।

8- अपना वर्तमान सत्र का परिचय–पत्र हमेशा साथ में रखें तथा महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पूछने पर उन्हें दिखाएं।

9- खाली कालांश के दौरान महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन कर समय का सदुपयोग करें।

10- सभी विषयों में प्राचार्य का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।

अत्यावश्यक नियम

1- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

2- महाविद्यालय सूचना पट्ट नियमित रूप से अवश्य देखें।

3- कक्षाओं के चलते गैलरी में न घूमें और न शोर करें, एक कालांश के बीतने व अगले कालांश के प्रारंभ के बीच गैलरी में खड़े न रहें ताकि आवागमन में कठिनाई न हो।

4- सदैव अपना परिचय पत्र साथ लावें तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें।

5- जब कक्षाएं चल रही हों तो अपने किसी भी साथी को बाहर न बुलावें।

6- परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग दंडनीय अपराध है।

7- महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार के दोषी छात्र /छात्रा का प्रवेश निषेध है।

8- प्रवेश फार्म के साथ प्रस्तुत मूल प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय से नामांकन हो जाने के पश्चात वहां से प्राप्त होने पर ही छात्र/छात्रा को लौटाए जाएंगे अतः अपने पास पर्याप्त मात्र में सत्यापित प्रतियाँ रखें।

9- इस विवरणिका के प्रकाशन के बाद यदि निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय से नियमों में परिवर्तन किया जाता है तो वे ही मान्य होंगे।

राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ एवं सुजलांचल : एक परिचय

सुजलांचल में राजकीय महाविद्यालय सर्वप्रथम सन 1968 में ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी कला व वाणिज्य महाविद्यालय तथा सेठ मोतीलाल बैंगाणी विज्ञान महाविद्यालय, लाडनूं के नाम से अलग–अलग स्थापित हुए। शैशवकाल में प्रथम वर्ष कला एंव वाणिज्य की कक्षाओं द्वारा भँवरलाल काला बाल मंदिर, सुजानगढ़ में 66 विद्यार्थियों से इसका शुभारम्भ हुआ। तदुपरांत 1 जुलाई 1969 में यह राजाजी की कोठी में स्थानान्तरित हो गया। वहां से 28 जनवरी 1974 में यह महाविद्यालय सेठ ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी ट्रस्ट द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त अपने वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया। इस महाविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन विधायक श्री फूलचंद जैन एवं सुजानगढ़ के सुधीजनों एवं श्रेष्ठीजनों के प्रयास से उस समय के राजस्थान के मुख्यमत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के कर कमलों से हुआ।

इसी प्रकार सेठ मोतीलाल बैंगाणी विज्ञान महाविद्यालय, लाडनूं भी सत्र 1968–69 में जौहरी हायर सैकंडरी स्कूल, लाडनूं में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात यह अपने वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया। इस प्रकार दोनों महाविद्यालय आमने–सामने स्थापित हुए। प्रारंभ में करीब डेढ़ दशक तक प्रशासनिक एवं अध्यापन की दृष्टि से दो अलग–अलग महाविद्यालय थे। मगर 1 जनवरी 1982 में राज्य सरकार के आदेश से दोनों महाविद्यालय मिलकर एक हो गए।

आज का ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़ पूर्व के दोनों महाविद्यालय का एकीकृत रूप है, जिसे स्थानीय लोग सुजला महाविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, यह सुजानगढ़ से 6 किमी. की दूरी पर एवं लाडनूं से 9 किमी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग न. 65 पर रतनगढ़–डेगाना रेल मार्ग के जसवंतगढ़ रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित है। महाविद्यालय की पूर्व दिशा से हनुमानगढ़–किशनगढ़ हाईवे गुजर रहा है।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक एवं विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक के अध्ययन–अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। गत वर्ष इस महाविद्यालय में 3073 विद्यार्थी अध्ययनरत्त थे। निर्जन में स्थित यह महाविद्यालय कई अभावों के बावजूद अध्ययन–अध्यापन, परीक्षा परिणाम, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद गतिविधियों में उत्साहवर्द्धक परिणाम देता रहा है। यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने जीवन के हर क्षेत्र यथा कला और संस्कृति, व्यापार एवं प्रबंधन, चिकित्सा एवं प्रशासन, नेतृत्व एवं राजनीति में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए हैं, गत वर्ष भी साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

कौरव–पांडवों के गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली द्रौणांचल, देववाणी या देवयानी का अपभ्रंश देवाणी, द्रौणपुर आचार्यवास से बना चाड़वास एवं धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए मीलों फैला ताल छापर इस सुजलांचल की प्राचीनता को महाभारत काल से जोड़ते हैं। सुजानगढ़ का इतिहास पाँच सौ वर्ष से ज्यादा पुराना है। 1773 में सांडवा के बीदावत ठाकुर भोमसिंह ने सुजानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा के गुरू हड़बूजी सांखला के नाम पर इसका नाम 'हड़बूजी रो कोट' पड़ा जो कालांतर में अपभ्रंश होकर 'खरबूजी कोट' (खरबूजा कोट) नाम से प्रचलन मे आ गया।

ऐतिहासिक दृष्टि से सुजानगढ़ को राव बीकाजी के वंशज महाराजा सूरतसिंह के पूर्वाधिकारी महाराजा सुजानसिंह ने सन 1820 के लगभग बसाया था। प्रारंभ में इसे व्यापारिक मंडी बनाने हेतु डीडवाना, लाडनूं से सुयोग्य वैश्य परिवारों को बीकानेर महाराजा ने सम्मान के साथ बुलाकर सस्ती जमीनें तथा दुकानें दी, उसी समय हस्त शिल्पकारों को भी वहां सुविधाओं के साथ बसाया गया, जिससे यहाँ का उत्पादित कपड़ा, चमड़े का सामान निर्यात होने लगा, कालांतर में यहाँ के रंगाई–छपाई एवं बंधेज के कपड़े दूर–दूर तक प्रसिद्ध हो गए।

संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में सुजानगढ़ अग्रणी रहा है। 'धरती धोरां री' के यशस्वी कवि एवं साहित्यकार स्व. श्री कन्हैयालाल जी सेठिया इसी मिट्टी के पूत थे। लता मंगेशकर के गुरू संगीतकार स्व. खेमचंद प्रकाश

इसी धरा पर जन्मे हैं। इसी कड़ी में यहां के श्री जमाल सेन, शम्भू सेन, तानसेन, समीर सेन, दिलीप सेन ने भी संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में सिने–जगत में नाम कमाया है। राजस्थान लोक गीतों की सुमधुर प्रस्तुति करने वाले वीणा कैसेट्स के निर्माता श्री के. सी. मालू सुजानगढ़ के ही लाल है। फिल्मी दुनिया से जुड़े गीतकार पी. के. मिश्रा, निर्मल मिश्रा एवं गजानंद मानव भी सुजानगढ़ के ही है। न्यायपालिका एवं प्रशासन के कई उच्च पदों पर इस धरा के सपूत विराजमान है।

सुजलांचल का दूसरा प्रमुख नगर लाडनूं है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लाडनूं का 'चंदेरी' सन्दर्भ यद्यपि संदिग्ध माना जाता है तथापि प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गोविन्द अग्रवाल द्वारा 'बाँकीदास री ख्यात' एवं 'मोहता नैणसी री ख्यात' आदि प्राचीन ग्रंथों के आधार पर अपने शोध ग्रन्थ ''चुरू मडंल का शोधपूर्ण इतिहास' में लाडनूं को ''बूढ़ी चंदेरी'' कहा जाना एवं प्राचीनकाल में शिशुपाल–वंशी पृथ्वीराज चौहान के सखा एवं राजकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित राजस्थानी भाषा के ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' में लाडनूं का चंदेरी नगरी के रूप में उल्लेख मिलता है।

एक दूसरे सन्दर्भ में लाडनूं का नाम लाडोजी या उनकी पुत्री लाडो के नाम से जुड़ा माना जाता है। यहाँ बसावट, पट्टियाँ, संकरी गलियाँ, यहाँ के कला मंडित गढ़, मठ, विहार, सभा मंडप, तोरण, गोखे, झरोखे, दासे और अट्टालिकाएं इसके हजारों वर्षों के इतिहास की ओर इंगित करते हैं। यहाँ प्राचीन वृहद दिगंबर जैन मंदिर, सम्राट अशोक के प्रपौत्र सम्प्रति के समय का बना हुआ है, इस बात का उल्लेख कई प्राचीन शिलालेखों एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर ईसा से पूर्व का निर्मित है। ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से लाडनूं को गन्धर्व वन, चंदेरी, महिपति पुर, खड्त्या बास और वर्तमान में लाडनूं कहते हैं। यहाँ स्थित जैन विश्व भारती शिक्षा, अहिंसा एवं शांति संदेश की दृष्टि से उल्लेखनीय संस्थान है।

लाडोजी एक पारीक ब्राह्मण थे जो छापर से लाडनूं आये थे तथा कई विद्याओं में पारंगत थे, लाडनूं गढ़ की भैरव भुजा का निर्माण उनकी अलौकिक विद्या के बल पर ही संपन्न हुआ, एक किंवदंती के अनुसार लाडोजी की पुत्री लाडो का बलिदान गढ़ की नींव में दिया गया था, लाडोजी के भाई पाबोजी के नाम से ही पाबोलाव बना, जहाँ साल में एक बार ऊँटों का प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर भारत प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम के समकालीन है। पाबोलाव के पास स्थित आसोटा गाँव में ही घिंटाळा जाट के खेत में बालाजी की दो मूर्तियाँ प्रगट हुईं, जो एक पाबोलाव में तथा दूसरी सालासर में प्रतिष्ठापित हैं।

रामभक्त हनुमान का विश्व–प्रसिद्ध मंदिर 'सालासर' सुजानगढ़ से मात्र 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सालासर से रतनगढ़ वाया मालासी सड़क पर स्थित खूड़ी ग्राम से 4 कि.मी. पूर्व में इतिहास प्रसिद्व स्यानण डूंगरी पर कालका माई का प्राचीन मंदिर स्थित है। सुजानगढ़ से सिर्फ 12 कि.मी. की दूरी पर ताल छापर में एशिया का प्रसिद्ध कृष्ण–मृग–अभयारण्य स्थित है। वर्तमान में यह कई सारे विदेशी पक्षियों की शरण स्थली बनता जा रहा है, जहां हजारों मीलों से उड़ान भर कर पक्षी आते हैं, जो देशी–विदेशी पक्षी–प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसा सुनने में आता है कि एक समय में यहां हर रविवार को पहियों पर राजमहल शाही रेलगाड़ी विदेशी पर्यटकों को अभयारण्य दिखाने लाती है।

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीट तथा विषय संयोजन

स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की वर्गवार स्थिति

क्र.स.	संकाय	सामान्य वर्ग	आर्थिक पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग	कुल स्वीकृत स्थान
1	कला संकाय	144	40	64	48	84	20	400
2	वाणिज्य संकाय	115	32	52	38	67	16	320
3	विज्ञान संकाय							
	(अ) जीव विज्ञान	25	7	11	9	14	4	70
	(ब) गणित	25	7	11	9	14	4	70

बी.ए. भाग प्रथम में अनुभाग वार स्थानों की स्थिति

अनुभाग	विषय / स्थान				कुल स्वीकृत स्थान अनुभाग वार
A	विषय	इतिहास	हिन्दी साहित्य	समाज शास्त्र	80
	स्थान	80	80	80	
B	विषय	राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी साहित्य	इतिहास	80
	स्थान	80	80	80	
C	विषय	हिन्दी साहित्य	अर्थशास्त्र	राजनीति विज्ञान	80
	स्थान	80	80	80	
D	विषय	उर्दू	राजनीति विज्ञान	इतिहास	80
	स्थान	80	80	80	
E	विषय	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान	भूगोल	80
	स्थान	80	80	80	

विज्ञान भाग प्रथम में स्थानों की स्थिति

वर्ग		स्थान
A	गणित वर्ग	70
B	जीव विज्ञान	70

स्नातकोत्तर (कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय) में स्थानों की स्थिति		
वर्ग		स्थान
A	गणित	40
B	रसायन विज्ञान	30
C	हिन्दी	40
D	राजनीति विज्ञान	40
E	लेखा एवम् व्यावसायिक सांख्यिकी	60
F	आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध	60
G	व्यावसायिक प्रबंध	60

शैक्षणिक परिचय

उपलब्ध पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में निम्न विषयों के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है।

कला संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी.ए. भाग प्रथम के लिए)

1- सामान्य हिन्दी

2- सामान्य अंग्रेजी

3- एलीमेंट्री कम्प्यूटर

4- पर्यावरण अध्ययन

(ख) वैकल्पिक विषय (केवल बी.ए. भाग प्रथम के लिए)

अनुभाग :

A. इतिहास, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र

B. राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास

C. हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान

D. इतिहास, राजनीति विज्ञान, उर्दू

E. भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान

(भाग द्वितीय एवं तृतीय में पूर्वानुसार विषय रहेंगे)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. राजनीति विज्ञान
2. हिंदी

नोटः–

1- महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्थान विषयवार स्थान निर्धारित हैं, यह जरूरी नहीं कि प्रवेशार्थी द्वारा चाहे गए विषय उसे मिल ही जाएँ।

2- प्रत्येक छात्र/छात्रा दिए गए पांचों समूह विकल्प वरीयता क्रमानुसार भरें।

3- एक समूह लेने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक होने पर उस विकल्प हेतु वरीयता के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

4- छात्र/छात्रा द्वारा विकल्प के रूप में अन्य समूह नहीं भरने की स्थिति में रिक्त स्थान वाला समूह विकल्प मानकर प्रवेश दे दिया जायेगा।

5- छात्र/छात्रा द्वारा दिए गए समूह को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करने पर महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

वाणिज्य संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी.कॉम. भाग प्रथम के लिए)

1- सामान्य हिन्दी

2- सामान्य अंग्रेजी

3- एलीमेंट्री कम्प्यूटर

4- पर्यावरण अध्ययन

(ख) मुख्य विषय :

1. लेखा एवम् व्यावसायिक सांख्यिकी
2. आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध
3. व्यावसायिक प्रबंध

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. लेखा एवम् व्यावसायिक सांख्यिकी
2. आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंध
3. व्यावसायिक प्रबंध

विज्ञान संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी. एससी. भाग प्रथम के लिए)

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. एलीमेंट्री कम्प्यूटर

4. पर्यावरण अध्ययन

(ख) वैकल्पिक विषय :

1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
2. वनस्पति शास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायन शास्त्र

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. रसायन शास्त्र
2. गणित

परिसर–दृष्टि

(परिसर गतिविधियों एवं सुविधाओं की एक झलक)

महाविद्यालय–पुस्तकालय (COLLEGE LIBRARY)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की ज्ञान–पिपासा के शमन हेतु अनके संदर्भ ग्रंथों से परिपूर्ण एक समृद्ध पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पारंगत पुस्तकालयाध्यक्ष श्री एस.आर. बालान कार्यरत हैं। महाविद्यालय के इस पुस्तकालय में 51340 पुस्तकें हैं तथा विभिन्न विषयों की 19 पत्रिकाएं एवं 06 दैनिक समाचार पत्र मंगवाए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। पुस्तकालय की पुस्तकें दशमलव प्रणाली में वर्गीकृत है तथा मुक्तद्वार प्रणाली अपनाई गई है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची लेखक के नाम से अकारादि वर्ण–क्रमानुसार तथा विषय की सूची वर्गीकरण पद्धति अनुसार सूची कार्डो पर व्यवस्थित कर की गई है। पुस्तकों का आदान–प्रदान रीडर्स–टिकटों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक रीडर्स–टिकट से विद्यार्थी एक पुस्तक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। रीडर्स–टिकट पर दी गई पुस्तक की सुरक्षा का दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा। सत्र की समाप्ति पर पुस्तकों को लौटाना जाना आवश्यक है।

पुस्तकालय के नियम :

1. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय यदि आपके पास पुस्तकें, थैला, छाता आदि सामग्री हो तो उन्हें निर्धारित स्थान पर रखें। पुस्तकालय में अपने साथ नोट्स लिखने के लिए केवल नोट बुक ले जाई जा सकती है।
2. यह पुस्तकालय महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के उपयोग के लिए है, पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति परिचय–पत्र दिखाने पर ही मिल सकेगी।
3. रीडर्स टिकट एक सत्र के लिए दिए जाते हैं। ये अहस्तान्तरणीय हैं। इनके खो जाने या नष्ट हो जाने पर दूसरा टिकट एक माह पश्चात 25 रुपये प्रति टिकट जमा करने पर प्राप्त हो सकेगा।
4. सामान्यतः प्रत्येक पुस्तक 14 दिन की अवधि के पश्चात लौटाई जानी चाहिए। लौटाई गई पुस्तक पुनः उसी विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी।
5. निश्चित अवधि के पश्चात लौटाई गई पुस्तक पर 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जाएगा, जो महाविद्यालय खजांची के पास जमा करना होगा, एक सप्ताह से अधिक विलम्ब होने पर विद्यार्थी को भविष्य में पुस्तकालय की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

6. पुस्तकों का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। खराब की गई, चिह्नांकित की गई या खो गई पुस्तक का दुगुना मूल्य वसूल किया जाएगा। विद्यार्थी को चाहिए कि पुस्तक को लेते समय स्वयं सावधानी से देख लें कि पुस्तक किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त नहीं है। यदि कटी–फटी या चिह्नांकित पुस्तक है तो उसे निर्गमित करवाने से पूर्व काउंटर–क्लर्क को दिखाकर मुहर लगवाएं।
7. पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को मोडना, फाड़ना या उस पर कुछ लिखना एवं किसी अन्य व्यक्ति के कार्ड पर पुस्तक लेने का प्रयास करना दण्डनीय अपराध है।
8. घर ले जाने के लिए पुस्तक परिचय–पत्र देखकर ही दी जाएगी। इसके अभाव में पुस्तकालयाध्यक्ष आपको पुस्तक देने से मना कर सकता है।
9. प्रत्येक विद्यार्थी को साहित्य के अतिरिक्त अपने विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें ही दी जा सकेंगी।
10. संदर्भ ग्रन्थ–कोष, विश्वकोष, कला संबंधी पुस्तकों, मानचित्रावलियां, पत्र–पत्रिकाएं, परीक्षा प्रश्न पत्र एवं नियमावलियां आदि का अध्ययन/उपयोग केवल पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकता है।
11. पुस्तकालय में पूर्ण शांति बनायें रखें तथा ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरों का ध्यान भंग हो। यदि कोई विद्यार्थी इस नियम के विरुद्ध आचरण करता हुआ पाया जाएगा तो उसे पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं।

क्रीड़ा एवं खेलकूद
(महाविद्यालय खेलकूद गतिविधियां)
(GAMES & SPORTS ACTIVITIES)

महाविद्यालय में सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों का सुचारू संचालन होता है। महाविद्यालय का क्रीड़ा विभाग अपनी गतिविधियों की उत्कृष्टता के लिए छात्रवर्ग का चहेता विभाग है। खेल अधिकारी श्री नेमीचंद शर्मा (शारीरिक शिक्षा निदेशक) के कुशल निर्देशन में प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी विभिन्न खेलों में अंतर–महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाविद्यालय में खेलकूद की निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध हैं–

1. आउटडोर खेलकूद : फुटबाल, बॉलीबाल, कबड्डी, खो–खो, बास्केट बाल, क्रिकेट एवं एथेलेटिक्स
2. इन्डोर खेलकूद : बैडमिंटन, टेबल–टेनिस, शतरंज
3. जिम्नेजियम : महाविद्यालय में विगत दो वर्षों से जिम्नेजियम की सुविधा उपलब्ध है।
4. अंतर–महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष लगभग 10 टीमें बीकानेर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं।
5. महाविद्यालय के विभिन्न खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बीकानेर विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
6. प्रतिवर्ष महाविद्यालय में अंतर–संकाय खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त संकायों के अनेक विद्यार्थी सहभागिता करते हैं। अतंर–संकाय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान एथेलेटिक्स में प्रतिवर्ष सर्व–श्रेष्ठ–एथलीट छात्र एवं छात्रा का चयन किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी–खिलाड़ी वर्ष पर्यन्त मेहनत करते हैं।
7. बेस्ट–एथलीट छात्र–छात्रा खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 5000–5000 रूपये धनराशि का पुरस्कार भामाशाह श्री जयनारायण पूनिया के सौजन्य से प्रदान किया जाता है।
8. सभी खेलों में विभिन्न स्तरों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी–खिलाड़ियों को वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में प्रमाणपत्र एवं पारितोषिक भेंट कर प्रोत्साहित किया जाता है।

छात्र परिषद

(STUDENT UNION)

महाविद्यालय के चहुंमुखी विकास में छात्रशक्ति के अधिकतम सहयोग की अपेक्षा से छात्र–परिषद का गठन किया जाता है। प्रतिवर्ष छात्र–परिषद् का गठन राजकीय आदेशानुसार छात्र परिषद् संविधान के तहत किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा–सचिव, संयुक्त–सचिव तथा कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा एक सत्र के लिए किया जाता है। छात्र परिषद महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नामित परामर्शदाता मंडल के मार्गदर्शन में छात्रशक्ति एवं महाविद्यालय के हित साधन के लिए कार्य करती है।

नोट :– छात्रसंघ निर्वाचन राज्य सरकार के आदेशानुसार संपन्न करवाया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

(NATIONAL SERVICE SCHEME)

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ–साथ समाजसेवा में सहभागी बना कर राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनाना है। इस योजना का ध्यये वाक्य NOT ME BUT YOU है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां स्वीकृत हैं, जिसमें 200 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इकाइयों के कार्यक्रम–अधिकारी के रूप में स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं का कुशल मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के बेनर तले प्रतिवर्ष महाविद्यालय में परिसर–सौंदर्यीकरण, पौध–रोपण, जल संरक्षण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, सात दिवसीय विशेष शिविर, श्रमदान आदि कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की ओर से गोद ली गई बस्तियों में सामाजिक जागरुकता रैलियों, विभिन्न कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। रा.से.यो. कलैंडर में वर्णित सभी गतिविधियों के साथ ही इन इकाइयों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार विशेष गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।

राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल

(NATIONAL CADET CORE)

इस महाविद्यालय में छात्रों को एन. सी. सी. का प्रशिक्षण देने के लिए 3/2 एस. डी. कंपनी है जिसमें 107 कैडेट्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सत्र 2018–19 से इस कंपनी के लिए स्वीकृत स्थानों में 33 प्रतिशत स्थान छात्रा–कैडेट्स केलिए आरक्षित है। इस कंपनी का बटालियन हैडक्वार्टर चुरू है। एन.सी.सी. में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है, एन.सी. सी. कैडेट्स को एनसीसी प्रभारी अधिकारीके नेतृत्व में उचित प्रशिक्षण प्रदान कर 'बी' एवं 'सी' प्रमाणपत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एनसीसी युनिट के सैंकड़ों कैडेट प्रतिवर्ष भारतीय सेना, राजस्थान पुलिस एवं विभिन्न रक्षा सेवाओं में चयनित होते हैं।

रोवर एवं स्काउट
(ROVER & SCOUT)

महाविद्यालय में स्काउटिंग की दो इकाइयां–एवं रेंजर–टीम (छात्रा) संचालित हैं, जिनका संचालन राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशानुसार किया जाता है। छात्र–छात्राएं पारस्परिक मेलजोल एवं सद्भाव बढ़ाने वाली इस पाठ्येत्तर गतिविधि में भाग लेकर अपना बहु–आयामी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

अप्रवासीय छात्र केंद्र
(NON RESIDENTIAL STUDENT CENTER)

महाविद्यालय में अप्रवासी छात्र केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है, इसमें छात्रों के लिए कॉमन हॉल, इंडोर गेम्स की सुविधाएँ उपलब्ध है।

महिला प्रकोष्ठ
(WOMEN CELL)

महाविद्यालय में छात्रा विद्यार्थियों की प्रतिभाओं के निखार एवं महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से महिला प्रकोष्ठ का संचालन किया जाता है। महाविद्यालय में अध्ययनरत्त समस्त छात्रा विद्यार्थी इस प्रकोष्ठ की सदस्य होती हैं। महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ अपनी प्रभारी अधिकारी के कुशल निर्देशन में सत्र पर्यन्त विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें पोस्टर निर्माण, स्लोगन–लेखन, ग्रीटिंग कार्ड लेखन, मेहंदी प्रतियोगिता, सलाद–प्रतियोगिता, भाषण, वाद–विवाद, गायन, नृत्य एवं वाद्य–वादन आदि प्रतियोगिताएं उल्लेखनीय है।

साहित्यिक–सांस्कृतिक गतिविधियां
(CULTURAL & LITRARY ACTIVITIES)

महाविद्यालय–विद्यार्थियों में साहित्यिक–सांस्कृतिक अभिरुचियों के विकास हेतु सत्र पर्यन्त अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अनुभवी प्रभारी अधिकारी के कुशल निर्देशन में साहित्यिक–सांस्कृतिक समिति द्वारा समय–समय पर काव्य–पाठ, वाद–विवाद, क्विज, निबन्ध–लेखन, भाषण, आशु–भाषण आदि प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस समिति द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की ओर से आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सहभागिता एवं महाविद्यालय से चुनिंदा विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु भेजा जाता है। प्रत्येक सत्र में महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने एवं प्रतिभाओं की पहचान हेतु बड़े स्तर पर

आयोजन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सांस्कृतिक–प्रतियोगिताएं सपंन्न होती है– एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, विचित्र वेशभूषा, प्रहसन, काव्य–पाठ, आशु भाषण, सामान्य ज्ञान क्विज, लघु नाटिका, मूकाभिनय, एकाभिनय।

ध्यातव्य :

महाविद्यालय में शैक्षणिक के साथ–साथ सह–शैक्षणिक गतिविधियों का सतत आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाकर निखारना है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी रुचि के अनुरूप सह–शैक्षणिक गतिविधियों का चयन कर उनमें भाग लें।

प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानो पर राज्य सरकार के नियमानुसार ऑन–लाइन प्रवेश देय होगा।

2. प्रवेश नियमावली के विस्तृत अवलोकन हेतु विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ की website – hte.rajasthan.gov.in/college/gcsujangarh पर जाकर admission policy 2022-23 पर क्लिक करें।

3. स्नातक भाग प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु आवेदक को Website – www.hte.rajasthan.gov.in पर दिए गए "Click here for online Admission" लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन–पत्र में कोई त्रुटि होने पर आवेदक अंतिम तिथि तक उसमें सुधार कर सकता है या दूसरा आवेदनपत्र दाखिल कर सकता है। उसके बाद आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश नहीं होगा। इस हेतु **DCE** द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन करते रहें।

6. जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारंभ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्यापन प्रारंभ की तिथि से गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।

7. ऑनलाइन प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख आवश्यक है :
   - i अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका तथा स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ, प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करनी होगी।
   - ii मूल चरित्र प्रमाण पत्र
   - iii विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (जो छात्र/छात्राएं संबंधित विश्वविद्यालय के बाहर से आ रहे हैं, उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रवेश के समय उक्त प्रमाणपत्र नहीं हो तो इस आशय का अंडरटेकिंग दें कि प्रवेश के एक मास में उक्त प्रमाणपत्र महाविद्यालय में जमा करवा दिया जाएगा।)
   - iv यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं विषेष पिछड़ा वर्ग से है, तो उसकी पुष्टि में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

v जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हों जो आयकर–दाता नहीं है, तो तत्संबंधी प्रमाण–पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

vi आय का विवरण–पत्र

vii खेल आदि में विषेष योग्यता का प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक चाहे गए हैं।

8. जिन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, उन्हें उनके दिए हुए मोबाइल नंबर पर इस सम्बन्ध में SMS प्राप्त हो जाएगा तथा उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक चस्पा कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड ले लेना चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

9. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय पत्र, फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदा अपने साथ रखना होगा।

10. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण के लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, या महाविद्यालय नियमों का उल्लघंन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अवांछनीय होने के कारण दंडनीय अपराध समझा जाएगा और उसका प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

12. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध माना जाएगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के अन्दर कॉशन मनी (Caution Money) वापस नहीं ली जाने की स्थिति में यह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।

14. प्राचार्य को यह अधिकार होगा की उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें/प्रवेश निरस्त कर दें।

15. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए, अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय प्रशासन का नहीं होगा।

16. एन. सी. सी., एन. एस. एस., रोवर–स्काउट एवं अन्य उपक्रमों में प्रवेश हेतु सम्बंधित अधिकारी से संपर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए प्रवेश प्रक्रिया

सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विदयार्थियों को चाहिए कि वे अपनी एप्लीकेशन आई.डी. से ईमित्र पर निर्धारित शुल्क जमा दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक करावें। अभी विद्यार्थी को केवल शुल्क ही जमा कराना है, अन्य कोई

आवेदन–पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने हैं। विद्यार्थी अपना शुल्क जमा करवाकर उसकी प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :

स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि : 31 जुलाई 2022 है। इसके बाद शुल्क जमा किया जाना संभव नहीं होगा तथा संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय की कम से कम 75 प्रतिषत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हैं। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा नियमित छात्र के रूप में नहीं दे सकेगा।
2. वे छात्र जिन्हें महाविद्यालय की ओर से एन.सी.सी., शिविर, स्काउटिंग शिविर अथवा साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उन्हें उन दिनों की कक्षा में उपस्थित छात्रों की भांति ही उपस्थिति दी जाएगी, किन्तु इस हेतु उन्हें उतने ही दिन की उपस्थिति मिलेगी जितने दिन की विशेष विषय की कक्षाएं वास्तव में हुई है, छुट्टियों व अन्य अवकाश के दिनों में आयोजित गतिविधियों के लिए उपस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।
3. सभी मामलों में उपस्थिति के प्रतिशत की गणना सत्रारंभ से हुई कुल कक्षाओं के आधार पर ही होगी न कि उस दिन से जिस दिन से छात्र/छात्रा ने कक्षा में प्रवेश लिया हो। ठीक यही बात विषय परिवर्तन करने वाले छात्रो पर लागू होती है, क्योंकि किसी एक विषय की उपस्थिति किसी दूसरे विषय में स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
4. सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानांतरित होकर आने वाले छात्र को अपनी पूर्व उपस्थिति का अभिलेख साथ लाना होगा।
5. समुचित कारणों पर प्राचार्य, अभिषद (सिंडीकेट) एवं कुलपति द्वारा अग्रांकित सीमा तक/पूर्व उपस्थिति की कमी को क्षमा किया जा सकता है।
   - **A.** कुल सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की 3 प्रतिशत तक उपस्थिति की कमी प्राचार्य द्वारा माफ की जा सकती है।
   - **B.** 3 प्रतिशत से अधिक किन्तु 6 प्रतिशत तक उपस्थिति की कमी प्राचार्य की अनुशंसा पर अभिसद (सिंडीकेट) द्वारा क्षमा की जा सकती है।
   - **C.** तदुपरांत केवल दीर्घकालीन रूग्णता के वास्तविक मामलों में 5 प्रतिशत उपस्थिति की कमी प्राचार्य की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा क्षमा की जा सकती है। इसके लिए रूग्ण छात्रों को रूग्णता के पश्चात महाविद्यालय में उपस्थित होते ही राज्य सरकार द्वारा मान्य चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत करना चाहिए। इन सीमाओं के पश्चात की कोई कमी किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।
6. उपस्थिति की किसी भी कमी को क्षमा करने की अनुशंसा प्राचार्य उसी दशा में करेंगे जबकि वे इस बात से संतुष्ट होंगे कि अनुपस्थिति का कारण विद्यार्थी की सामर्थ्य से बाहर था।
7. यदि कोई विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होने में अत्यधिक अनियमितता एवं उपेक्षा दिखाता है तो प्राचार्य सत्र के मध्य में ही उसका नाम महाविद्यालय से हटा सकते हैं अथवा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।

टिप्पणी:–उपर्युक्त छूट देने पर भी यदि उपस्थिति कम रहती है तो उसे किसी भी तरह बढाया नहीं जा सकेगा।

8. यदि कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है अथवा अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है तो उसे उपस्थिति में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
9. पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किये गए छात्र की उपस्थिति सत्रारंभ से ही गिनी जाएगी।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क

शिक्षण शुल्क : शिक्षण शुल्क 12 महिनों; जुलाई से जून तक के लिए एकमुश्त सरकार/प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि तक देय होता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करवाने वाले विद्यार्थी का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

शिक्षण शुल्क से मुक्ति :

राज्य सरकार के नियमानुसार निम्नांकित श्रेणियों के छात्रों को आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त किया जा सकेगा –

(क) जिन विद्यार्थियों के अभिभावक ऐसे राज्य कर्मचारी है जो आयकर नहीं देते हैं (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) उनसे कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। यह सुविधा उन विद्यार्थियों को भी मिलेगी जिनके अभिभावक पंचायत समितियों व जिला परिषदों में कार्यरत हैं।

(ख) समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे उनके अभिभावक आयकरदाता हों अथवा नहीं परन्तु उन्हें अपने दावे में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों से अन्य शुल्कों की वसूली इन्हें देय छात्रवृत्ति से की जाएगी। जो छात्र छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे, उन्हें आवश्यक समस्त शुल्क प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

नोट :–

1. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शुल्क मुक्ति चाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे आवेदन–पत्र के साथ ही आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें। एक बार शुल्क जमा करा देने के पश्चात प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रदत्त शुल्क की राशि लौटाई नहीं जा सकेगी।

2. समस्त प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क (जिन पर देय है) पूरे सत्र के लिए एकमुश्त लिया जाएगा।
3. समस्त शुल्क की दरों में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार अथवा महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।

ध्यातव्य है कि प्रत्येक कक्षा में योग्यता एवं आवश्यकतानुसार 10 विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं 10 विद्यार्थियों को अर्द्ध शुल्क मुक्ति का लाभ दिया जा सकता है। यह लाभ उन्हीं छात्रो को देय होगा जिनके माता–पिता अथवा संरक्षक आयकर–दाता नहीं है तथा जिन्हें अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

FEE STRUCTURE (शुल्क दरें)

शिक्षण शुल्क राज्य सरकार के नियमानुसार लिया जाएगा : प्रवेशार्थी से प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क निम्नानुसार होगा :

अ. राजकीय शुल्क

			CATEGORY					
			GENERAL				SC/ST/OBC/SBC	
			BOYS			GIRLS	BOYS	GIRLS
	1	प्रवेश शुल्क	5 रू.			0	5 रू.	0
	2	डाक शुल्क	5 रू.			0	5 रू.	0
	3	प्रयोगशाला शुल्क (केवल विज्ञान संकाय)	100 रू.			0	100 रू.	0
	4	शिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	NIL	NIL	NIL
			42 रू.	54 रू.	54 रू.			
	5	शिक्षण शुल्क	पूर्वार्द्ध P.G.	उत्तरार्द्ध P.G.				
			96	96				

ब. छात्रकोष शुल्क /स्थानीय शुल्क

	1	खेलकूद (क्रीड़ा शुल्क)	100 रू.	100 रू.	50 रू.	50 रू.
	2	विकास शुल्क	100 रू.	100 रू.	50 रू.	50 रू.
	3	सामान्य प्रयोजन	20 रू.	20 रू.	10 रू.	10 रू.
	4	मनोरंजन	30 रू.	30 रू.	15 रू.	15 रू.
	5	छात्रसंघ	50 रू.	50 रू.	25 रू.	25 रू.
	6	छात्र सहायता निधि	10 रू.	10 रू.	5 रू.	5 रू.
	7	पुस्तकालय	20 रू.	20 रू.	10 रू.	10 रू.
	8	वाचनालय	30 रू.	30 रू.	15 रू.	15 रू.
	9	कॉलेज पत्रिका	20 रू.	20 रू.	10 रू.	10 रू.

	10	ओपन शेल्फ	10 रू.	10 रू.	5 रू.	5 रू.
	11	परिचय पत्र	20 रू.	20 रू.	10 रू.	10 रू.
	12	प्रांगण सौन्दर्यीकरण	50 रू.	50 रू.	25 रू.	25 रू.
	13	सत्रांश जाँच	10 रू.	10 रू.	5 रू.	5 रू.
	14	छात्र बीमा	20 रू.	20 रू.	20 रू.	20 रू.
	15	महिला अध्ययन केंद्र (केवल छात्राओं के लिए)	NIL	20 रू.	NIL	20 रू.
	16	सांस्कृतिक गतिविधि	50 रू.	50 रू.	25 रू.	25 रू.
	17	महाविद्यालय विकास समिति कोष	300 रू	300 रू	300 रू	300 रू
	18	कौसन मनी	10 रू	10 रू	10 रू	10 रू
	19	स्वास्थ्य परीक्षण	5 रू	5 रू	3 रू	3 रू
	20	वाहन पार्किंग स्थल	20 रू	20 रू	10 रू	10 रू
	21	स्काउटिंग	10 रू	10 रू	5 रू	5 रू
	22	पी. जी. सेमिनार (केवल स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए)	20 रू	20 रू	10 रू	10 रू
	23	पी.जी. विज्ञान संकाय (प्रयोगशाला शुल्क)	150 रू	00	150 रू	NIL

अन्य शुल्क :

	1	टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र)	2 रू	2 रू	2 रू	2 रू
	2	चरित्र प्रमाण पत्र	2 रू	2 रू	2 रू	2 रू

नोट :– टी. सी. लेते समय 46 रू. तथा डिग्री लेते समय 100 रू. विकास शुल्क देय होगा

विश्वविद्यालय शुल्क :

	1	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड शुल्क	100 रू.	100 रू.	100 रू.	100 रू.
	2	नामांकन शुल्क	100 रू.	100 रू.	100 रू.	100 रू.
	3	पात्रता शुल्क	100 रू.	100 रू.	100 रू.	100 रू.
	4	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय आदेशानुसार	विश्वविद्यालय आदेशानुसार	विश्वविद्यालय आदेशानुसार	विश्वविद्यालय आदेशानुसार

नोट : उपर्युक्त शुल्क राशि में यदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन या वृद्धि की जाती है तो विद्यार्थी द्वारा यह राशि देय होगी

नोट :

विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु नए विद्यार्थियों को नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है अतः इस फॉर्म को भरकर कार्यालय में जमा करवाना विद्यार्थी का व्यक्तिगत दायित्व है।

FEE STRUCTURE (CONSOLIDATED) 2022-23

प्रवेश के समय जमा की जाने वाली फीस की गणना

क्र.सं	कक्षा	लिंक
1	बी. ए. भाग प्रथम	view file
2	बी. कॉम भाग प्रथम	view file
3	बी.एस.सी. भाग प्रथम (बायो)	view file
4	बी.एस.सी. भाग प्रथम (गणित)	view file
5	बी. ए. भाग द्वितीय	view file
6	बी. कॉम भाग द्वितीय	view file
7	बी.एस.सी. भाग द्वितीय (बायो)	view file
8	बी.एस.सी. भाग द्वितीय (गणित)	view file
9	बी. ए. भाग तृतीय	view file
10	बी. कॉम भाग तृतीय	view file
11	बी.एस.सी. भाग तृतीय (बायो)	view file
12	बी.एस.सी. भाग तृतीय (गणित)	view file
13	एम. ए. एम.कॉम. पूर्वार्द्ध	view file
14	एम. ए. एम.कॉम. उत्तरार्द्ध	view file
15	एम.एससी.पूर्वार्द्ध	view file
16	एम.एससी.उत्तरार्द्ध	view file

कक्षा

1- महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना छात्र को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

2- विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।

3- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने प्राध्यापक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हों तथा प्राध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रुके रहें।

सभा स्थल

1- महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी, अतिथिगण, प्राचार्य, एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेष करने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।

2- प्रत्येक परिसंवाद और वाद विवाद में विनम्रता, सम्मान एवं सद–व्यवहार अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश 88

अगर कोई छात्र गंभीर दुर्व्यवहार अथवा जानबूझ कर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य प्रवृत्ति और अपराध गम्भीर्य से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करके उस छात्र को :

1- कम से कम एक माह तक महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं।

2- कम से कम छः माह और अधिक से अधिक एक शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासित कर सकते हैं।

3- विद्यार्थी को आगामी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

4- निष्कासित छात्र महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेष नहीं ले सकेगा।

महाविद्यालय परिवार

कला संकाय

प्राचार्य : रिक्त
उपाचार्य : रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–01)
1. श्री प्रमोद कुमार

अंग्रेजी विभाग (स्वीकृत पद–02)
1. श्रीमती विनीता चौधरी 2. रिक्त (01)

हिन्दी विभाग (स्वीकृत पद–04)
1. डॉ. गजादान चारण 2 रिक्त (03)

इतिहास विभाग (स्वीकृत पद–02)
1. रिक्त (02)

राजनीति विज्ञान विभाग (स्वीकृत पद–04)
1. डॉ. प्रेम बाफना 2. रिक्त (03)

समाज शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. रिक्त

भूगोल विभाग (स्वीकृत पद–01)

1.रिक्त

उर्दू विभाग (स्वीकृत पद–01)

1.रिक्त

वाणिज्य संकाय

लेखा एवं सांख्यिकी विभाग (स्वीकृत पद–06)

1. श्री सी.एस.डोटासरा 2. रिक्त पद – 05

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग (स्वीकृत पद–05)

1. श्री धन्ना राम जानू 2. रिक्त पद (04)

व्यावसायिक प्रशासन विभाग (स्वीकृत पद–05)

1. रिक्त पद – 05

क्रीड़ा विभाग

1. श्री एन. सी. शर्मा (पी.टी.आई)

पुस्तकालय विभाग

1. श्री एस.आर. बालान, पुस्तकालयाध्यक्ष

विज्ञान संकाय

भौतिक शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1- सप्तेश कुमार 2. रिक्त पद (01)

रसायन शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. श्री सी.पी. सैनी

2- रिक्त पद – (01) श्री योगेश कुमार कल्ला श्री रविकान्त मीणा

गणित विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. श्री रामनिवास मेघवाल
2. श्री मनोज कुमार नहलिया

1. रिक्त पद – 02

वनस्पति शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. रिक्त पद – (01) डॉ. महेन्द्र कुमार
2. प्राणी शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. श्री हरिलाल जांगिड़ 2. श्रीमती सीता सोनी

कार्यालय कार्मिक

1.श्री रामचन्द्र जाट	– सहायक लेखाधिकारी ;ग्रेड –प्रथम
2.श्री जीवराज सिंह	– सहायक प्रशासनिक अधिकारी
3.श्री रघुवीर सिंह	– कनिष्ठ सहायक
4.श्री सुख राम	– प्रयोगशाला सहायक
5.श्री कृष्ण कुमार	–प्रयोगशाला सहायक
6.श्री ईष्वर सिंह	– मैकेनिक
7.श्री कैलाशचंद	– सहायक कर्मचारी
8.श्री बोदूराम	– सहायक कर्मचारी
9.श्रीमती गुड्डी देवी उर्फ चन्द्रकांता	– सहायक कर्मचारी

रिक्त पद –

1. वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक – 01
2. प्रयोगशाला सहायक– 01
3. वरिष्ठ सहायक– 02
4. कनिष्ठ सहायक–01
5. सहायक कर्मचारी – 02
6. जमादार – 01
7. बुक लिफ्टर – 01
8. लेब बियरर –01

बस एवं रेल कन्सेशन संबंधी नियम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को केवल निम्न दशाओं में ही बस व रेल कन्सेशन देय होगा–

1- यदि विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु यात्रा करता है।

2- यदि विद्यार्थी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु यात्रा करता है

3- यदि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को किसी प्रशिक्षण में भेजा जाता है।

4- यदि परीक्षा समाप्ति के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने गृह–नगर को जाता है, परन्तु यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि गृह–नगर से आशय विद्यार्थी के मूल निवास से है। जिसका प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी दंडनायक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

5- विद्यार्थी अपने स्थायी निवास का जो पता प्रवेश फॉर्म में भरेंगे उसी पते पर रेल एवं बस कन्सेशन देय होगा।

छात्रों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना

राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक) अधिनियम 1992 पारित किया है, जो विश्वविद्यालय की 1993 की परीक्षाओं से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को दंडनीय अपराध माना गया है तथा जो व्यक्ति दोषी पाया जाये उसे तीन साल का कारावास या 2000 रू. तक का जुर्माना या दोनों से ही न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

आचरण सम्बन्धी सामान्य नियम

2. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
3. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।
4. छात्र/छात्रा कक्षा के भीतर शांत रहेंगे।
5. छात्र/छात्रा अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय का लाभ लेने में करें।
6. विद्यार्थी घास के मैदानो एवं पेड़–पौधों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा नुकसान न पहुँचाएं।
7. छात्र महाविद्यालय सम्पदा का उचित ढंग से उपयोग करें।
8. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठे।
9. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन छात्र को दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है।
10. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए गए छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जाएगी।
11. अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
12. राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, जर्दा, तम्बाकू एवं नशीली वस्तुओं का सेवन दडंनीय अपराध होगा।
13. प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय समय में अपना परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर दिखाना चाहिए।
14. दुराचरण या गंभीर दुराचरण पर दोषी छात्र/छात्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके अंतर्गत दोषी छात्र/छात्रा को कुछ समय के लिए अथवा पूरे सत्र के लिए महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।

15. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनानें वाले अथवा केन्द्राधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जायेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 व 152 की धारा 4 के अंतर्गत केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न–पत्र की अथवा शेष समस्त प्रश्न–पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
16. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे छात्रों के साथ हस्तांतरित करना अथवा उनकी चोरी गंभीर अपराध माना जावेगा। तदनुसार दोषी छात्र/ छात्रा के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
17. कक्षा के अंतर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जाएगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।
18. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के परिजनों के प्रति विनयशील रहें तथा महाविद्यालय की संपति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुँचाने वालों को रोकें और ऐसी घटना को महाविद्यालय प्रशासन की जानकारी में लायें।
19. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन, प्रयागेशाला भवन भी शामिल है, की दीवारों पर कुछ न लिखे, यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुए पाया गया या जिसके समर्थन में लिखा गया है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
20. कक्षा में अध्ययन करते समय प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखें।

एन.सी.सी./एन.एस.एस/रोवर रेंजर/महिला प्रकोष्ठ/मानवाधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर

- प्रथम भाग में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपर्युक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/व्याख्याताओं/अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर वर्ष भर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाए।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची निदेशालय में संबंधित समन्वयक को 5 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए।
- छात्र एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- प्रथम भाग के विद्यार्थियो को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय/तृतीय भाग, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षो में अध्ययनरत विद्यार्थी यथा संभव उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लेगें जो विद्यार्थी पूर्व मे ही इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में निदेशालय से समय–समय पर जारी होने वाली परिपत्रों को निदेशालय की वेबसाईट dce.rajasthan.gov. पद जारी किया जाएगा, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

क्र.सं	प्रभारी का नाम	गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारणी
1.	1.श्री हरिलाल जांगिड़ –केयर टेकर	एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2.	1.श्री रामनिवास मेघवाल 2.डॉ. महेन्द्र कुमार	एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार

3.	1.श्री रविकान्त मीणा 2. श्रीमती सीता सोनी	रोवर लीडर रेंजर लीडर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार
4.	1.डॉ. प्रेम बाफना – संयोजक 2.श्रीमती सीता सोनी –सदस्य	महिला प्रकोष्ठ	आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार
5.	1.श्री एस.आर.बालान –संयोजक 2.श्रीमती विनिता चौधरी – सदस्य	मानव अधिकार क्लब	आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार
6.	1.श्री रामनिवास मेघवाल– संयोजक 2.डॉ. महेन्द्र कुमार– सदस्य 3.श्री हरिलाल जांगिड़– सदस्य	एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब	आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार
7.	1. श्री सी.पी. सैनी– नोडल अधिकारी 2. श्री योगेश कुमार कल्ला – सह नोडल अधिकारी	साईंस मेंटर समिति	आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार